[2020] 13 एस.सी.आर. 566

निमाय साह

बनाम

स्टेट ऑफ़ झारखंड

(आपराधिक अपील संख्या 211/2011)

02 दिसंबर, 2020

[एन.वी. रमना और सूर्यकांत, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 – धारा 498ए सपठित धारा 34 – दहेज हत्या का आरोप – अपीलकर्ता-अभियुक्त (मृतिका के पति का बड़ा भाई) को पति और ससुर के साथ दोषी ठहराया गया – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई - अपील पर, अभिनिर्धारित: अस्पष्ट आरोपों के अलावा, किसी भी गवाह द्वारा पक्षद्रोही रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताया गया – अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 498-ए के तत्व साबित नहीं हुए – अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 साक्षियों की गवाही के अवलोकन से यह पाया गया कि पी.डब्लू.10 ने अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम लिया है, जो मृतिका को 10,000/- रुपये के दहेज की मांग के लिए परेशान कर रहा था। हालांकि, उसके बयान में अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम अन्य अभियुक्तगणों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक ही सांस में लिया गया है। इस साक्षी के अलावा, पी.डब्लू.7, पी.डब्लू.8 और पी.डब्लू.9 ने अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम लिए बिना यह बयान दिया कि मृतिका को उसके वैवाहिक घर में परेशान किया जा रहा था। इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी साक्षियों द्वारा पक्षद्रोही रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, मृतिका के भाई पी.डब्लू.7 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतिका अपने वैवाहिक स्थान से उसे पत्र लिखती थी, और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी तरह के उत्पीड़न का उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य सभी स्वतंत्र साक्षियों पक्षद्रोही घोषित हुए और अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। वास्तव

में, यहां तक कि पी.डब्लू.2 जो मृतक का चाचा है और एफआईआर में नामित एक साक्षी है, ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार, साक्षियों के मौखिक साक्ष्यों पर विचार करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए आईपीसी के तत्वों को उचित संदेह से परे के मानक पर साबित नहीं किया गया है। आरोप धारा 498-ए आईपीसी के तहत अपीलकर्ता - अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अपीलकर्ता - अभियुक्त की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती है। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.02.2010 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता - अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। दिनांक 17.09.2010 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया था। उसके जमानत बंध पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। [पैरा 13-17][569-जी-एच; 570-ए-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 211/2011

[आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 176/2001 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 11.02.2010 के निर्णय और आदेश से]

ब्रज किशोर मिश्रा, विनोद कुमार, अभिषेक यादव, सुश्री अपर्णा झा, राजीव शंकर द्विवेदी, मनोज कुमार, आनंदो मुखर्जी, कृष्णानंद पांडेया, अधिवक्ता वास्ते उपस्थित पक्षकार ।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया

एन.वी. रमना, जे.

1. यह अपील झारखंड उच्चन्यायालय, रांची द्वारा 2001 की आपराधिकअपील (एस.जे.) संख्या 176 में पारित दिनांक 11.02.2010 के आक्षेपित निर्णय सेउत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा सत्र विचारण वाद संख्या 235/1998; 45/1998 दिनांक 09.05.2001 में पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 498ए के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा।

वर्तमान अपील आरोपी नंबर 3 निमय साह से संबंधित है, जो मृतिका के पति गोरा साह आरोपी नंबर 1 का बड़ा भाई है । वर्तमान अपीलकर्ता अभियुक्त को आरोपी नंबर 1, मृतक के पति गोरा साहऔर आरोपी नंबर 2, मृतक के ससुर निताई साह के साथ सजा का सामना करना पड़ा है।

3. मृतक आशा कुमारी की शादी आरोपी नंबर 1 गोरा साह से हुई थी और वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। अभियोजन की कहानी के अनुसार दहेज में रुपये 10,000/ (रुपये दस हजार मात्र) की मांग को लेकर उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। । यह मांग मूल रूप से उसके पिता, शिकायतकर्ता, देवेन्द्रसाह (पी.डब्ल्यू.10) से उसकी विदाई समारोह के समय की गई थी। उसकी उत्पीड़न की शिकायतों के कारण, उसके पिता, देवेन्द्र साह (पी.डब्ल्यू.10), उसके ससुराल वालों को समझाने के लिए उसके वैवाहिक घर गए और उन्हें उक्त राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। अंततः जब उत्पीड़न नहीं रुका, तो शिकायतकर्ता ने अपने बेटे, मुन्ना साह (पी.डब्लू.8) को मृतक के वैवाहिक घर भेजा, जो उसे उसके माता-पिता के घर वापस ले आया।

4. अभियुक्त नंबर 1, मृतिका का पति गोरा साह, दिनांक 18.02.1998 को मृतिका के मायके गया था। उस मनहूस दिन, यानी 20.02.1998 को, वह मृतक को सुबह की सैर पर ले गया।

एक घंटे बाद अकेले वापस आकर उसने जल्दी से जाने के लिए अपना सामान पैक किया। जब उनसे मृतक के ठिकाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मृतक नित्य क्रिया से निवृत्ति कर जल्दी वापस आ जायेगी । इसके बाद वह चला गया। जब मृतिका एक घंटे के बाद वापस नहीं आई, तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अंततः वह नहर के पास मृत पाई गईऔर उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 304 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 498 ए और आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 304 बी के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी सबूतों से इनकार किया, झूठे निहितार्थ का दावा किया और खुद को निर्दोष बताया।

6. ट्रायल कोर्ट ने, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर भरोसा करते हुए, निर्णय और आदेश दिनांक 09.05.2001 द्वारा, आरोपी व्यक्तियों को निम्नानुसार दोषी ठहराया:

अभियुक्त	आरोप	सज़ा सुनाई गई

[1]. गोरा साह [ए 1]	एस 304बी/34 आईपीसी	10 वर्षों के लिए आरआई
	एस. 498ए/34 आईपीसी	3 साल के लिए आरआई
[2]. निताई साह [ए 2]	एस. 498ए/34 आईपीसी	3 साल के लिए आरआई

[3]. निमय साह [ए3] धारा 304 बी/34 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया

7. दोष सिद्धि और सजा के उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने सबूतों के विश्लेषण पर इसे सुसंगत और पुष्ट पाया, जिससे ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश के साथ-साथ सजा की पुष्टि आक्षेपित आदेश के माध्यम से

की ।

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर जिसमें सभी आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है, आरोपी नंबर 3, मृतिका के पति के भाई, निमय साह ने यह

अपील दायर की है।

9. अपीलकर्ता अभियुक्त की ओर से विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की कहानी में अस्पष्ट आरोप शामिल हैं, जो सबूतों सेअप्रमाणित हैं।आरोपी का पूरा परिवार नंबर 1, इस मामले में मृतिका के पति गोरा साह, को शामिल किया गया है। इसप्रकार, अपीलकर्ता अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

10. दूसरीओर, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने समवर्ती दोषसिद्धि के तथ्य पर जोर दिया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे।

11. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

12. अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता अभियुक्त की भूमिका विदाई समारोह के समय 10,000/- रुपये की दहेज की मांग और बाद में भुगतान न करने पर उत्पीड़न तक सीमित है। उच्च न्यायालय ने दहेज के लिए उत्पीड़न के तथ्य को बरकरार रखने के लिए श्यामसुंदर साह (पी.डब्लू.7), मुन्नासाह (पी.डब्लू.8), चंपादेवी (पी.डब्लू.9) औरदेवेन्द्रसाह (पी.डब्लू.10) की गवाही पर भरोसा किया है।

13. गवाहों की गवाही पर गौर करने पर, हम पाते हैं कि, देवेन्द्र साह (पी.डब्ल्यू.10) ने बताया किअपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा दहेज के रूप में 10,000/- रुपये की मांग के लिए मृतक को परेशान किया जा रहा था। 10,000/. हालाँकि, अपने बयान में, अपीलकर्ता अभियुक्त को

अन्य आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक ही सांस में नामित किया गया। इस गवाह के अलावा, श्यामसुंदर साह (पी.डब्लू.7), मुन्नासाह (पी.डब्लू.8) और चंपा देवी (पी.डब्लू.9) ने अपीलकर्ता आरोपी निमाय साह का नाम लिए बिना गवाही दी कि मृतक को उसके वैवाहिक घर में परेशान किया जा रहा था।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी गवाह द्वारा शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। इसकेअलावा, मृतिका के भाई श्याम सुंदर साह (पी.डब्लू.7) नेअपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मृतिका उसे अपने वैवाहिक स्थान से पत्र लिखती थी, और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है।

15. अन्य सभी स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैंऔरअभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में, यहां तक कि पंचानन साह (पी.डब्ल्यू.2) जो मृतक के चाचा हैं और एफआईआर में नामित गवाह हैं, ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

16. इस प्रकार, गवाहों की मौखिक गवाही पर विचार करने पर, धारा 498 ए आईपीसी अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे साबित नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत आरोप के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

17. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, 2001 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 176 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 को रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता-अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। दिनांक 17.09.2010 केआदेश द्वारा, इस न्यायालय नेअपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया था। उनके जमानत बांड खारिज किये जाते हैं।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

.....न्यायमूर्ति

(एन. वी. रमन्ना)

.....न्यायमूर्ति

(सूर्यकांत)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|